न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2010(रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 08.06.2010

सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री पोखरलाल पिता गोमा भांबी सा. प्रेमनगर, चित्तौड़गढ़
2–श्री देवीलाल पिता माधु भांबी सा. प्रेमनगर, चित्तौड़गढ़
3–श्री रतनलाल पिता नारू जीनगर सा. प्रेमनगर, चित्तौड़गढ़
4–श्री नन्दलाल पिता प्रताप धोबी सा. कीरों की झूपडियां
5–श्री घीसुलाल पिता शंकर धोबी सा. चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955
उपस्थितिः–1–श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2–श्री राकेश कुमार जैन अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 3

निर्णय

दिनांक 20.08.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1214 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा किस्म नाला होकर बिलानाम मेवाड़ बन्दोबस्त में दर्ज थी। सम्वत् 2009 से 2012 से पूर्व भी आराजी नम्बर 1214 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा किस्म नाला दर्ज थी। जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 में आराजी नम्बर 1214/2 रकबा 15 बिस्वा किस्म नाला श्री मुला पिता भोला धोबी साकिन चित्तौड़गढ़ के नाम राजस्व रेकार्ड में बिना किसी आदेश के जमाबन्दी में दर्ज हुई। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 1742 रकबा 0.34 है0 बने जो विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च

जिला कलेक्टर
चित्तौ

न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.06.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1742 रकबा 0.34 हैक्टेयर को किस्म नाला बिलानाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार जैन ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2, 4 एवं 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 2, 4 व 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1214 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि किस्म नाला बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाला होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 में उक्त भूमि में से आराजी नम्बर 1214/2 रकबा 15 बिस्वा भूमि किस्म नाला बिना किसी आदेश के श्री मुला पिता भोला धोबी साकिन चित्तौड़गढ़ के नाम अंकित कर दी गई। इस आराजी के नवीन आराजी नम्बर 1742 रकबा 0.34 है0 बने जो विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08. 2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकर्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1742 रकबा 0.34 हैक्टेयर का पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में किस्म नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो विधि-विपरीत होने से उक्त अंकन निरस्त योग्य है।

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 3 का मुख्य कथन यह रहा कि गत आराजी नम्बर 1214 बिलानाम दर्ज नहीं है बल्कि मेवाड बन्दोबस्त सन् 1923 में इस आराजी नम्बर 1214/2 के खातेदार मूला पिता भोला धोबी दर्ज रेकार्ड था। जमाबंदी सम्वत् 2013 से 2016 में मूला की मृत्यु के कारण उनकी पत्नी गुलाबी बेवा मूला के नाम बहेसीयत वारिस के दर्ज है। नवीन आराजी संख्या 1742 रकबा 0.34 हैक्टेयर केवल आराजी संख्या 1214/2 रकबा 15 बिस्वा से अकेले नहीं बना है बल्कि आराजी संख्या 1214/2 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 1213/1 ख रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1227/1क रकबा 3 बिस्वा से मिलकर बना है इसलिए इसे नाला बाला के नाम से सेटलमेंट के दौरान दर्ज किया गया। गत आराजी संख्या 1214/2, 1213/1 ख एवं 1227/1 क खातेदारान की कृषि भूमि थी और इसे खातेदार ने विधि-अनुसार पंजीकृत विलेख से केता को अन्तरण कर दी तभी से इस भूमि पर विपक्षीगण काबिज है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। ग्राम चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1214 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि किस्म नाला दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि की किस्म नाला होने से, इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं की जा सकती थी। जबकि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि में आराजी नम्बर 1214/2 रकबा 15 बिस्वा भूमि किस्म नाला बिना किसी आदेश के बगैर नामान्तरकरण के सम्वत् 2009 से 2012 की जमाबन्दी में श्री मुला पिता भोला धोबी के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त स्थिति के आधार पर अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 3 का यह कथन कि "यह भूमि विधि-सम्मत कार्यवाही से मुला के नाम पर आई है" गलत है एवं मानने योग्य नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अन्तर्गत मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि गत बन्दोबस्त के आराजी संख्या

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

1214/2 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 1213/1 ख रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1227/1 क रकबा 3 बिस्वा किता 3 कुल क्षेत्रफल 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि से मिलकर नवीन आराजी संख्या 1742 रकबा 0.34 हैक्टेयर बना है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2060-2063 में नवीन आराजी संख्या 1742 रकबा 0.34 है. में से 0.24 है. बीड तथा 0.10 है. गे. मू. विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। अतः नवीन आराजी संख्या 1742 रकबा 0.34 है. में से रकबा 0.10 है. गे. मू. भूमि बिलानाम नाला दर्ज करने योग्य पाई जाती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमियां आवंटन योग्य नहीं है और इनमे खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश 02.08.2004 मे ऐसी भूमियों के संबंध में समुचित कार्यवाही कर दिनांक 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने के निर्देशों के तहत उपरोक्त आराजी को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकर्ड में किस्म नाला दर्ज किया जाना आवश्यक होने से प्रकरण रेफरेन्स योग्य है।

अतः भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1214 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि किस्म नाला के नवीन आराजी नम्बर 1742 रकबा 0.34 है. भूमि में से 0.10 है0 गे. मू. भूमि जो कि विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है, को विपक्षीगण के नाम से हटाकर पुनः किस्म नाला बिलानाम अंकन करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़